ST. PAUL TEACHER'S TRAINING COLLEGE BIRSINGHPUR

St. Paul Teacher's Training collage Birsinghpur

उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत

19/20

COURSE - 01

ASSIGNMENT OF

CHILDHOOD AND GROWING UP

COURSE - B.Ed. first year

SESSION - 2022-24

ROLL NO - 64

SUBMITTED BY - RANI KUMARI

08.05.23

SUBMITTED TO

Q 1.) विकास से आप क्या समझते हैं? बच्चे की विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विस्तारपूर्वक बताएँ।

प्रस्तावना —
विकास जीवन प्रयन्त चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्युपर्यन्त चलती रहती है। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है। जैसे - विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर और जटिल या सरल से जटिल की ओर चलती है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात् कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। बच्चे की जीवन यात्रा और वृद्धि एवं विकास की कहानी माँ के गर्भ में आने के साथ - साथ ही शुरू हो जाती है। वह भी माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करती है। तथा धीरे - धीरे विकास को प्राप्त होता जाता है।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Birsinghpur, Bahuri, Samastipur

विकास का अर्थ (Meaning of development) —

हर वस्तु या प्राणी में कुछ न कुछ मूल या गुण विशेष रूप से होता है। पर यह आरंभ में छुपे रहते हैं। और इन्हीं आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बढ़ना या प्रकट होना विकास होता है। इस तरह ~~विक~~ बालक तथा समाज दोनों में ही होता है। इस वृद्धि और विकास

की मंजिल में जैसे - जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन आते रहे हैं। इन सबके आधार पर उन्हें क्रमशः शिशु, बालक की उन सभी अवस्थाओं के द्योतक हैं। जिनमें से होकर उन्हें अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी होती है।

विकास की परिभाषाएँ (Definition of development) -

हरलॉक के अनुसार - "विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है वरन् इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ तथा नवीन योग्यताएँ प्रकट होती है।"

गैसेल के अनुसार - "विकास, प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा, जाँचा और किसी सीमा तक तीन प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है इन सबमें व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है।"

स्किनर के अनुसार - "विकास जीव और उसके

वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है।"

विकास की अवस्था निम्नलिखित है —

विकास की अवस्था		जीवन अवधि
1.	गर्भकाल या गर्भावस्था	गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि।
2.	शिशुकाल और शैशवावस्था	जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक की अवधि।
3.	बाल्यकाल या बाल्यावस्था	चौथे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक अथवा बिल्कुल निश्चित रूप से वीर्य या रज की उत्पत्ति प्रारंभ होने तक की अवधि।
(a)	पूर्व - बाल्यावस्था	चौथे वर्ष से 6 वर्ष तक।
(b)	उत्तर - बाल्यावस्था	सातवें वर्ष से 12 वर्ष तक अथवा बिल्कुल निश्चित रूप से वीर्य या रज की उत्पत्ति प्रारंभ होने तक की अवधि।
4.	किशोरावस्था	सामान्यतः 13 से लेकर 19 वर्ष तक (निश्चित अर्थों में वीर्य या रज की उत्पत्ति प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता ग्रहण करने तक)
5.	प्रौढ़ावस्था	20 वें वर्ष से लेकर या दूसरे शब्दों में परिपक्वता ग्रहण करने के समय से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक की अवधि।

निश्चित रूप से यहाँ यह दावा नहीं किया जा सकता की प्रत्येक अवस्था मे हर बालक के जीवन काल की आयु के हिसाब से ऊपर सुझाए गये तरीके से विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत भेदों (Individual Diffrence) की कोई सीमा नहीं है। कौन बालक किस आयु मे वृद्धि और विकास के किस स्तर को स्पर्श करेगा, इसके लिए कोई सार्वभौमिक नियम है। अत: वृद्धि और विकास की कोई विशेष अवस्था कितनी आयु और अवधि मे मानी जाए इस संदर्भ मे काफी कुछ मतभेद देखने को मिल सकते है।

उपरोक्त सभी अवस्थाओ को अगर विद्यालय शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहली और अंतिम अवस्था का अध्यापक से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं आता परंतु इन अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने से पहले हम वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं से परिचित होना चाहिंगे।

अगर वृद्धि और विकास को हम समान अर्थो मे प्रयुक्त करे तो बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हमें निम्न रूपों अथवा पहलुओं मे गति करता हुआ दिखाई पड़ता है। —

i) <u>शारिरिक विकास</u> (Physical Development) :— व्यक्ति के शारिरिक विकास मे उसके शरिर के बाह्य एंव

आंतरिक अवयवों का विकास होता है। बालक अपने शरीर संगठन को स्वीकार कर लेता है और वह अपने भूमिका को स्वीकार करना चाहते हैं। बौद्धिक कौशल का विकास और सामाजिक स्वीकृत व्यवहार का दर्शाना, अतिव्यवहार प्रदर्शन करना उसका लक्षण हो जाता है।

(ii) ज्ञानात्मक विकास (cognitive development) :— इसमें सभी प्रकार की मानसिक शक्तियाँ जैसे - सोचने-विचारने की शक्ति कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति और व्यक्तता, सृजनात्मकता संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और सामान्यीकरण आदि से संबंधित शक्तियों का विकास सम्मिलित होता है।

iii) संवेगात्मक विकास (Emotional development) :— इसमें विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा इन संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास सम्मीलित होता है। इस विकास की प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर हर अवस्था तक निरंतर चलती रहती है।

(iv) नैतिक अथवा चारित्रिक विकास (moral or character development) :— इसके अन्तर्गत नैतिक भावनाओं, मूल्यों तथा चरित्र संबंधी विशेषताओं का विकास सम्मिलित होता है।

Page : 6

v) सामाजिक विकास (social development) :– बच्चा प्रारंभ में एक असामाजिक प्राणी होता है। उसमें उचित सामाजिक गुणों का विकास कर समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाना सामाजिक विकास के अन्तर्गत आता है। बच्चे समाज में रहकर समाज के सभी नियमों को देखकर उसके अनुसार अपने में परिवर्तन करता है तो उसमें समाजिक विकास होता है।

(vi) भाषात्मक विकास (language development) :– भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि विकास जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। और इन विकास के दौर में बच्चों में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलता है। और इन्हीं परिवर्तन के फलस्वरूप उसके जीवन की सभी क्रियाएँ सम्पादित होती हैं उसमें मानसिक बौद्धिक और सभी का विकास होता है। और वह इस विकास को माध्यम से अपने आप को समायोजित करता है।

PRINCIPAL

ST. PAUL TEACHER'S TRAINING COLLAGE

BIRSINGHPUR

SAMASTIPUR

COURSE - 02

ASSIGNMENT OF CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION

B.Ed FIRST YEAR

SESSION — 2022-24

ROLL NO — 64

SUBMITTED BY — RANI KUMARI

19/20

SUBMITTED TO

Q.1) माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

प्रस्तावना —

माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्योंकि इस आयोग की गठन डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग का गठन 1952-53 में किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग को भारत में माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की वर्तमान स्थिति की जाँच करके उसका स्थिति देने एवं संपूर्ण राष्ट्र में हमारी आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप एक सुसंगठित उचित समानता वाली माध्यमिक शिक्षा प्रणाली प्रदान किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया। इस आयोग ने बच्चों के व्यक्तित्व, नेतृत्व और सर्वांगीण विकास के सभी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ती के उपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा विकास के संदर्भ में एक आयोग का गठन किया जा चुका था। और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए यह महसूस किया जा रहा था। 1948 में केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सरकार से आग्रह किया कि माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करें। 1951 में परिषद ने अपने सुझाव को पुनः दोहराते हुए

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 Sep 1952 को डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता मे माध्यमिक शिक्षा का गठन किया।
इस आयोग के निम्नलिखित सदस्य थे —
अध्यक्ष — डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर
उपकुलपति — मद्रास विश्वविद्यालय
सदस्य — जॉन क्रिस्टी (जिस्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड)
— कैनेथ रस्ट विलियम (Director - अटलांट)
— श्रीमति हंसामेहता (उपकुलपति बरौदा विश्वविद्यालय)
— J.A तारापुर वाला (तकनिकी शिक्षा मुम्बई सरकार)
— Dr KL श्रीमाली प्राचार्य (Teacher's training collage Udaypur)
— M.T व्यास (प्राचार्य - New ER school mumbai)
— K.G सर्दैन (सह सचिव - Education मंत्रालय भारत सरकार)
सदस्य सचिव - A N वसुत (Central Institude)
— Dr S.M चारी (शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार)

इन सभी ने मिलकर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इन आयोग के संगठन की मुख्य उद्देश्य तात्कालिन माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके संबंध मे सुझाव देना था।

✡ माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख विशेषताएँ —

माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College

1.) **अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण :—**
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए उनमें छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यवसायिक तथा अच्छे नागरिक बनने के सभी गुण हैं।

2.) **शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी उपयुक्त सुझाव :—**
आयोग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण का भी सुझाव दिया। ये सभी सुझाव अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुआ।

3.) **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा :—**
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया है, जो यथार्थ के धरातल पर लिया गया निर्णय है व हमारे देश के लिए हितकारी है। अगर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो उसकी समझ में सभी बातें आएगी। और बच्चों का विकास अच्छी तरह से होगा।

Page: 4

4.) चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल :— आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल दिया और इनकी प्राप्ति के ठोस सुझाव भी दिए। इस तरह एक लम्बे समय से चली आ रही अनुशासनहीनता की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया।

5.) रुचिकर शिक्षण विधियों का निर्माण :— आयोग ने नीरस शिक्षण विधियों की जगह पर रुचिकर शिक्षण विधियों के प्रयोग का सुझाव दिया। जिससे छात्र शिक्षण मे रुचि ले सके। तथा शिक्षण विधि का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि मूल्यों, कार्य, आदतों का विकास करना भी होना चाहिए। शिक्षण विधियों मे क्रियाविधि तथा परियोजना विधि के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

6.) उपयोगी पाठ्य - पुस्तकों के लिए सुझाव :— आयोग ने पाठ्य - पुस्तकों के संबंध मे जो सुझाव दिए उनसे उच्छी गुणवत्ता व उपयोगी पाठ्य- पुस्तकों का निर्माण करने मे सहायता मिली।

7.) अन्य उपयोगी सुझाव :— आयोग ने छात्रों के अनुशासन, धार्मिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशन व परामर्श के संबंध मे

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training College
Birsinghpur
Jhanjhri, Samastipur

भी उपयोगी सुझाव दिए ।

8.) शिक्षकों के संबंध में उचित सुझाव :— आयोग ने अध्यापकों की योग्यता, वेतन तथा सेवा दशाओं में सुधार करने का सुझाव दिया । जिससे वह समाज में सम्मान पा सके । साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के विषय में भी ठोस सुझाव दिए जो आगे चलकर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उपयोगी हुए ।

9.) पाठ्यक्रम :— आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम क्षेत्र को विस्तृत बनाने का सुझाव दिया । आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला हो । इसमें विविधता का समावेश हो । यह समाजिक रूप से घनिष्ट रूप से संबंधित हो ।

10.) परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन में सुधार :— आयोग ने परिक्षाओं तथा मूल्यांकन से संबंधित ठोस सिफारिशें पेश की, जिनका यदि शक्ति से पालन किया जाए तो इसके परिणाम उत्कृष्ट होंगे । सबसे महत्वपूर्ण सुझाव निबंधात्मक परिक्षाओं के दोषों को देखते हुए, निबंधात्मक प्रश्नों

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Birsinghpur, Jhakhri, Samastipur

की रचना करते समय विचारप्रधान प्रश्न पूछना तथा निबंधात्मक परिक्षाओं के साथ-साथ वस्तुनिष्ठ परिक्षा की भी व्यवस्था करना था। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि इन सुझावों को स्वीकार करने से परिक्षा प्रणाली में आपेक्षित सुधार हुआ है। वह वस्तुनिष्ठ होने के साथ-साथ विश्वसनीय भी बन गई है।

निष्कर्ष :—

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि मुदालियर शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया गया, जो काफी हद तक सफल रहा। इसमें बहुत सारे आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया गया। जिससे छात्रों की रूचि, चरित्र निर्माण तथा नैतिकता के मुल्य के विकास पर बल दिया गया।

10

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training
Birsinghpur
Jhahuri, Samastipur

ST. PAUL TEACHER'S TRAINING COLLEGE

BIRSINGHPUR
SAMASTIPUR

COURSE - 03

ASSIGNMENT OF LEARNING AND TEACHING

COURSE – B.Ed I Year
SESSION – 2022 - 24
ROLL NO – 64
SUBMITTED BY – RANI KUMARI

19/20

Leon

SUBMITTED TO

Q1.) कक्षाकक्ष कौशलों के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण पद्धतियों का वर्णन करें।

प्रस्तावना —

"कक्षा-कक्ष कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार है जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न कर छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। कक्षा कौशल एक ऐसी शिक्षण तकनीक है। जो अध्ययन की कक्षा में अपने अपने गतिविधियों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबंध में सहायता करें और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में, आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक ढंग से कार्य करने में सफलता प्राप्त कराएँ। कक्षा-कक्ष में विभिन्न कौशलों के माध्यम से शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर शिक्षक अपने अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावपूर्ण बनाता है।

कक्षा कक्ष कौशल कक्षा कक्ष के प्रबंधन के आधार पर निर्भर करता है जिसके घटक निम्नलिखित हैं। —

अधिगम को रोचक बनाना।
छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए अभिप्रेरित करना।
छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना।
विद्यार्थी अध्यापक अन्तः क्रिया को प्रोत्साहित करना।
वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना।

PRINCIPAL
Teachers' Training College
Samastipur

अनुशासनहीनता पर नियंत्रण ।
कक्षा प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करना ।
कक्षा प्रबंधन में अनुशासन के महत्व बताना ।
सौन्दर्यवातावरण का निर्माण करना ।
निर्देशों में स्पष्टता होनी चाहिए ।

✡ कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के उद्देश्य —

1. **कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना :—**

कक्षा कक्ष कौशल प्रबंधन का सबसे पहला उद्देश्य कक्षाकक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना है । एक शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वह कक्षा को सुचारु रूप से चला सकें । यह तभी होगा जब शिक्षक की अपने विषय पर पकड़ होगी और विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा । और बच्चे शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें । तभी कक्षा में शैक्षिक वातावरण बना रहेगा ।

2. **शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाना :—**

कक्षाकक्ष का महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाना होता है । कक्षा में बहुत प्रकार के बालक होते हैं । कोई किसी भी शिक्षण अधिगम को जल्दी सीख जाता है तो कोई देर से सीखता है । अत: शिक्षक को इन बातों पर ध्यान रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए । उन्हें बच्चों के अनुकूल प्रस्तुत करना चाहिए जिससे सभी बच्चे

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training College

असानी से समझ सकें ।

3.) भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग :— कक्षा-कक्ष को हम तभी सुचारू रूप से चला सकते हैं जब हम उनके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो । इसके लिए शिक्षक को भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग उचित स्थान पर करना आना चाहिए ।

4.) कक्षा कक्ष को सम्पूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण करना :— एक कक्षा कक्ष तभी कहलाता है जब उसमें शिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हो जैसे श्यामपट्ट, चॉक डस्टर, पुस्तकें, चार्ट, डस्टबिन, बच्चों के बैठने की सुविधा जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएँ कक्षा में उपलब्ध हो ।

5.) विद्यार्थी एवं अध्यापक के बिच संबंध स्थापित करना :— जब तक एक कक्षा में विद्यार्थी एवं अध्यापक के बिच एक अच्छा संबंध नहीं होगा तब तक बच्चें अधिगम नहीं कर पाएंगें । इसलिए अध्यापक को अपने विषय पर पकड़ तथा अनुशासन एवं चरित्रवान होना चाहिए । एक शिक्षक के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बच्चों की कमियों को जानकर उन्हें अलग - अलग तरीकों से दूर करना आना चाहिए तभी विद्यार्थी एवं अध्यापक के बिच अच्छा संबंध स्थापित होगा ।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Bishanpur
Jhahuri, Samastipur

अतः इन सभी कक्षाकक्ष कौशलों का प्रयोग हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं।

कक्षा कक्ष कौशलों के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण पद्धतियाँ —

शिक्षण विधियां वह विधि है जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ एवं सम्पन्न करता है। शिक्षण पद्धति के माध्यम से ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण-विधि का प्रयोग करता है कक्षा में उतनी ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है।

एक शिक्षक अपने कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि का प्रयोग करता है।

1. व्याख्यान विधि :—

इस विधि का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु करता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षक कक्षा के बाहर भी कर सकता है। यह विधि प्राचीनतम विधि है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को प्राकृतिक वातावरण में बैठकर इसी विधि का प्रयोग किया करते थे। यह विधि सबसे सरल मानी जाती है, इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कक्षा अनुशासन में रहता है।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Jhalluri, Jamshedpur

2.) **प्रदर्शन विधि :—**

प्रदर्शन विधि शिक्षक को व्याख्या करने हेतु उसकी सहायता करता है। और छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने मे भी शिक्षक की सहायता करता है। प्रदर्शन विधि मे शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्यों को प्रकट करता है। और साथ ही वो दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट भी करते रहता है। जिससे छात्र प्रकरण मे रूचि लेते है और उसका ज्ञान स्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है।

3.) **प्रश्नोत्तर विधि :—**

प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है। और यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का भी विकास करती है। इसके प्रयोग से कक्षा अनुशासन मे रहता है। साथ ही यह प्रकरण को लेकर छात्रों की रूचि बढ़ाने का भी कार्य करता है।

4.) **आगमन विधि :—**

इस विधि का प्रतिपादन राजनीति के गुरु एवं जनक अरस्तु द्वारा किया गया था। आगमन विधि मे शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरूआत करने से पूर्व छात्रों मे मध्य पूर्वज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते है। जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक पहुँचा जाता है। अर्थात यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है।

5.) निगमन विधि :-

यह विधि आगमन विधि के विपरित है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों के मध्य किसी सूत्र या किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात छात्रों को उस स्तर पर ले जाया जाता है। छात्रों को सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाया जाता है।

6.) खेल विधि :-

यह रुचिकर विधि है इसमें बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रकट करता है। जिसके कारण प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान होता है। छात्र लंबे समय तक उसे याद रख पाते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेषकर खेल विधि का प्रयोग किया जाता है।

निष्कर्ष —

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि अगर कक्षाकक्ष में कक्षाकक्ष कौशलों का प्रयोग करे तथा शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। इस सब विधियों का उचित प्रयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ती की जा सकती है।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Bhirpur
Jhahuri, Samastipur

ST. PAUL TEACHER'S TRAINING COLLEGE

BIRSINGHPUR
SAMASTIPUR

COURSE - 04

ASSIGNMENT OF LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM

COURSE - B.Ed first year
SESSION - 2022-24
ROLL NO - 64
SUBMITTED BY - RANI KUMARI

SUBMITTED TO

Q.1.) भाषा से क्या तात्पर्य है? इसके महत्व पर प्रकाश डालें।

प्रस्तावना —

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक गतिविधियों के लिए मनुष्यों को एक दूसरे से बातचीत करनी होती है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। मनुष्य भाषा के द्वारा सहजता व सरलता से एक - दूसरे के क्रियाकलापों या आचार - विचार को समझ सकता है। कभी उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है तो कभी - कभी संकेतों से भी काम चलाना पड़ता है। यदि हम अपने आस - पास दूसरे जीवों पर ध्यान दें तो सभी प्राणियों के पास अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कई साधन हैं। जैसे - भाव मुद्राओं और ध्वनि संकेतों के द्वारा वे एक - दूसरे के विचारों को समझते हैं।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training College
Birsinghpur
Mahuri, Samastipur

भाषा से तात्पर्य :—

भाषा ध्वनि चिह्नों की वह समष्टि है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, इच्छाएँ तथा भाव दूसरे व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है, तथा दूसरे व्यक्ति के विचार इच्छाएँ और

भाव ग्रहण करता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन भाषा कराती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और समाज मे रहते हुए वह सदैव विचार विनिमय करता है। यदि भाषा नहीं हो तो यह संसार निरुद्देश्य एवं दिशाहीन हो जाता है। क्योंकि भाषा के अभाव मे मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता अतः भाषा मानव को प्राप्त एक अमूल्य वरदान है।

☆ **भाषा का महत्व** —
भाषा के निम्नलिखित महत्व है—

1.) **भाषा व्यक्ति के विकास में सहायक :—**
भाषा व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। और इसी अभिव्यक्ति मे उसके अंदर छिपि हुई प्रतिभा के दर्शन होते है। अपने विचारों तथा भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करना तथा अनेक भाषाएँ बोल लेना एक विकसित व्यक्तित्व के लक्षण है। अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतनी ही प्रभावशाली ढ़ंग से बढ़ेगा।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training ...
Birsinghpur, Shahuri, Sh...

2.) **भाषा सुसंस्कृत नागरिकों के निर्माण मे सहायक :—**

भाषा सुसंस्कृत नागरिकों के निर्माण मे सहायक होता है। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र मे बाँधती है। भाषा के माध्यम से ही समाज के हर नागरिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा के माध्यम से समाज मे केवल नैतिक व्यवहार ही संपन्न नहीं होती बल्कि हमारी संस्कृति भी अक्षुण्ण बनी रहती है।

3.) **भाषा वैचारिक आदान - प्रदान मे सहायक :—**

भाषा विचार विनियम का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह केवल मनुष्य के पास ही है। भाषा पशु पक्षी सभी के पास है पर विचार विनिमय करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी सारी दुख - सुख को दूसरे व्यक्ति तक बड़े आसानी या सरलतम माध्यम से अपने विचारों का विचार विनिमय कर सकता है।

4.) **भाषा ज्ञान वृद्धि मे सहायक :—**

भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ि अपने संचित ज्ञान को विरासत के रूप मे दूसरी पीढ़ि को सौंप दी जाती है।

भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन इतिहास को पहचानने मे समर्थ होते है।

5) भाषा ज्ञान को सुरक्षित रखने मे सहायक :— भाषा के माध्यम से ही जो ज्ञान हमने प्राप्त कर रखा, उसे सुरक्षित रख पाते है और उसका प्रयोग अपने जीवन में सही ढंग से करते है।

6.) भाषा संरक्षित ज्ञान के हस्तांतरण मे सहायक :— हमारे पास जो संरक्षित ज्ञान होता है उसे हम विरासत के रूप मे दुसरी पिढ़ी तक आसानी से भाषा के माध्यम से हस्तांतरण कर सकते है।

7.) भाषा समाजिक एकीकरण मे सहायक :— भाषा सामाजिक एकीकरण मे सहायक होता है। यह समाज के सभी लोगों को आपस में जोड़ के रखता है जिससे समाज का विकास होता है।

8.) भाषा राष्ट्रिय एकीकरण मे सहायक :— समस्त राष्ट्र का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training College
Birsinghpur
Mahathi, Samastipur

का मूलाधार है। इसके अलावा भी कोई भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय व्यापार एवं संस्कृति के आदान - प्रदान का साधन बनाती है।

9.) चारित्रिक एवं नैतिक विकास मे सहायक :— मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन कर तथा मातृभाषा मे व्यक्त किए गए विभिन्न रूपकों एवं नाटकों आदि को देखकर बालक विभिन्न नैतिक गुणों से परिचित होता है उन्हे ग्रहण करने का प्रयास करता है इस प्रकार भाषा बालक मे नैतिक मूल्यों - ईमानदारी, सहानुभूति, सत्य आदि मूल्यों का विकास होता है।

10.) भाषा ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है :— मानव श्रवण एवं पाठन क्रियाओं के माध्यम से देश - विदेश की सभी तरह की जानकारी प्राप्त करता है। शब्द - भंडार उसकी शैशावस्था मे उसके पास धीरे - धीरे बढ़ता है। शब्द - भंडार के माध्यम से वह किसी विचार को सुनता है। या किसी रचना को पढ़ता है तो उस विचार को वह अनायास ही पुरी तरह ग्रहण कर लेता है और ये विचार उसके मास्तिष्क मे एकत्रित होते उसके ज्ञान की वृद्धि करते

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training College
Biraitnghpur
Mohiuddinnagar, Samastipur

11.) भाषा लोकतंत्रात्मक विकास मे सहायक :—

बालक के लोकतंत्रात्मक विकास से अभिप्राय है कि बालक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान हो, इसमें समाजिक व राजनीतिक चेतना हो। उसे देश की समाजिक व राजनितिक समस्याओं का ज्ञान हो मातृभाषा के ज्ञान के बिना यह सब जानकारी असंभव है।

☆ निष्कर्ष :—

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि भाषा के बिना मानव का जीवन नीरस हो जाता है। भाषा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आधार है। भाषा से हमें पहचाना जा सकता है। और भाषा हर इंसान को एक - दूसरे से जोड़ती है। चाहे वह किसी भी देश या प्रांत मे रह रहा हो। मनुष्य ने हर क्षेत्र मे चाहे वो ज्ञान - विज्ञान का क्षेत्र हो इसका विकास व प्रगति का श्रेय भाषा को ही जाता है।

Principal
St. Paul Teachers' Training College
Birsinghpur
Jhaturi, Samastipur

CHER'S TRAINING COLLEGE

IRSINGHPUR

AMASTIPUR

COURSE-05

T OF UNDERSTANDING ,
ES AND SUBJECTS

E — B.Ed first year
ON — 2022-24
NO — 64
ITTED BY — RANI KUMARI

SUBMITTED TO

5

Q.1) अनुशासन तथा अंत: अनुशासनिक विषयों मे अंतर स्पष्ट करें ?

→ प्रस्तावना —

अनुशासन का तात्पर्य है अपने आप को किसी व्यवस्था के आधीन करना जब कोई छात्र अनुशासन के साथ माध्यमिक कक्षा के बाद उच्च माध्यमिक कक्षा मे अध्ययन करता है तो वहाँ विषयों के लिए नियम तथा अनुशासन का पालन करना होता है। माध्यमिक कक्षा मे सभी विषयों को पढ़ना होता है जैसे - गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाजिक अध्ययन लेकिन कुछ माध्यमिक कक्षा मे एक निश्चित अनुशासन के अनुसार संकाय बनाया गया है। जिसमे विज्ञान के छात्र गणित पढ़ सकते हैं लेकिन भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र नहीं यहाँ अनुशासन तथा अंत: अनुशासन को समझ सकते हैं।

अनुशासन के अनुसार व्यवस्थित रूप से कार्य करना तथा अंत: अनुशासन के अनुसार व्यवस्थित रूप के साथ - साथ लाभकारी कार्य करना।

अनुशासन :-

अनुशासन का अंग्रेजी शब्द Discipline है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द Disciplina से है। अनुशासन एक व्यवस्था है। जिसमे किसी भी कार्य को एक निश्चित नियम के अनुसार किया जाता है।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Birsinghpur
Jhahuri, Samastipur

स्वामी विवेकानंद के अनुसार —
"चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है।"

Paul Vegies के अनुसार —
"अपने आप को नियम का पालन करना ही अनुशासन है।"

☆ **अंत: अनुशासन :—**
इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की समस्या का सामाधान किया जाता है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है, जिससे समस्याओं का सामाधान प्रस्तुत किया जाता है इसमें प्रमुख विषय नवीन ज्ञान का सृजन करना होता है जो कि किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे — यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जा रहा है।

☆ अनुशासन एवं अंत: अनुशासन विषयों में निम्नलिखित अंतर है —

1.) **उद्देश्य के आधार पर (Difference based on aims):—**
अनुशासन का उद्देश्य एक संकाय का निर्माण करना होता है। उनके मध्य समांजस्य और सहभागिता देखी जाती है। भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान

PRINCIPAL
St. Paul Teachers Training College
Bithan, Samastipur

गणित एक संकाय का निर्माण करती है। इसके विपरित अंतः अनुशासनिक विषयों की उद्देश्य किसी नवीन समस्या का सामाधान करनी होती है। जैसे विज्ञान की ज्ञान रखने वाले व्यक्ति समाजिक अध्ययन के व्यक्ति के साथ मिलकर समाजिक स्तर पर समस्या का सामाधान करता है।

2.) प्रयास के आधार पर अंतर :—
(Difference based on Attempt)
अनुशासन के अंतर्गत प्रयास एक सीमित क्षेत्र तक होता है। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान जीव विज्ञान आदि के मध्य अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरित अंतः अनुशासन प्रकिया में प्रयासों का स्वरूप सामूहिक होता है। जिसमें विज्ञान के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति संस्कृति समस्याओं का सामाधान करने के लिए सामाजिक विज्ञान के व्यक्तियों से मिलकर समस्याओं का सामाधान करते है।

3.) क्षेत्र आधारित अंतर :—
अनुशासन का क्षेत्र सिमित होता है इसमें सिमित विषयों के अंतर्गत ही अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें संकाय का विषय सिद्धांत होता है। लेकिन अंशतः अनुशासित विषय में ज्ञान के आधार पर समस्या का सामाधान

किया जाता है। जिसमें सिमित ज्ञान के साथ - साथ क्षेत्र अध्यारित ज्ञान की भी आवश्यकता होती है।

4.) गतिविधि अध्यारित अंतर :—

अनुशासन के अंतर्गत गतिविधि सिमित होती है। तथा एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत संपन्न की जाती है। अनुशासन का दायरा सीमित होने के कारण इसमें गतिविधियाँ भी सीमित होती है। लेकिन अंतः अनुशासन का क्षेत्र विशाल होता है। और यह अनेक गतिविधियों को आपस मे जोड़ती है। और इससे संबंधित समस्या का समाधान भी आसानी से करती है।

5.) अन्तः क्रिया के आधार पर :—

अनुशासन के मध्य अंतः संबंध की व्यवस्था होती है। जैसे किसी समस्या का समाधान रसायन विज्ञान के ज्ञान से नहीं हो रहा है तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के सहयोग तथा ज्ञान से समस्या का समाधान करने का कोशिश करता है। इसके विपरित अंतः अनुशासनिक प्रक्रिया में अंतः क्रिया करते हुए उस समस्या का समाधान खोजता है।

जैसे एक विज्ञान का शिक्षक यह अनुभव किया की विज्ञान के छात्रों में नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। इस

समस्या का समाधान शिक्षक के द्वारा किए जाने पर उसके पाठ - सारणी में नैतिक शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए।

6.) वर्गीकरण के आधार पर अंतर :—

अनुशासन का क्षेत्र छोटा है इसमें किसी एक संकाय के विषयों का सीमित ज्ञान का अनुकरण करता है इसके आधार पर सभी समस्याओं का हल सुनिश्चित नहीं हो पाता है। लेकिन अंतः अनुशासन का क्षेत्र विशाल है इसमें अनेक संकायों के विषयों का ज्ञान प्राप्त कर समस्या का समाधान करना आसान हो जाता है। इसमें अनेक संकायों के विषयों का अनुकरण किया जाता है।

7.) आयाम अध्यारित अंतर :—

अनुशासन के क्षेत्र में एक ही आयाम का प्रयोग किया जाता है। जो किसी एक संकाय से संबंधित होता है। इसमें किसी संकाय विज्ञान का अनुकरण किया जाता है। तो विज्ञान के आयामों का सीमित ज्ञान होता है जो बहुत छोटा आयाम के क्षेत्र को सूचित करता है। लेकिन अंतः अनुशासन का क्षेत्र विशाल है जो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है।

अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह भी

एक समस्या के अंतर्गत आता है। इस समस्या का हल विज्ञान के संकाय से संभव नहीं है। इसमें अर्थशास्त्र विषय के अनुकरण से संभव हो सकता है। और यह अंत: अनुशासन के अंतर्गत आता है।

8.) <u>सृजनात्मकता के आधार पर अंतर :—</u>

अनुशासन के अंतर्गत किसी नवीन ज्ञान का सृजन नहीं होता है। क्योंकि इसमें उपलब्ध ज्ञान व्यवस्थित और क्रमबद्ध के रूप में प्रदान किया जाता है। जिसमें सीमित सृजन के नियम होते हैं जो सभी प्रकार के सृजन में सहायक नहीं होता। लेकिन अंत: अनुशासन के अंतर्गत विशाल सृजनात्मकता अध्ययन तथा कार्य शैली होता है। जो पुरानी तथा नई सृजनात्मक गुणों को आसानी से विकसित करता है।

PRINCIPAL
St. Paul Teachers' Training College
Birsinghpur
Rahuri, Samastipur

9.) <u>कार्य के आधार पर अंतर :—</u>

अनुशासन की व्यवस्था में किसी प्रकार के कार्य को संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। बल्कि जो सामग्री होती है उनको अनुशासित रूप प्रदान किया जाता है। जैसे- भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस पर कौन सा तथ्य और प्रकरण आयोजित किए जाने हैं, तथा कौन से तथ्य में परिवर्तन करना है। लेकिन इसके विपरित अंत: अनुशासन प्रक्रिया के अंतर्गत सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। इस प्रकार किसी भी

समस्या का समाधान अंतः अनुशासन के अंतर्गत ही किया जाता है।

10) समन्वयन के आधार पर :—

समन्वयन के आधार पर अनुशासन के क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कला संकाय के अंतर्गत समन्वय की प्रक्रिया इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के अनुसार बनाई जाती है। जबकी सभी विषयों में समन्वय बनाने के लिए सभी विषयों की ज्ञान की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष :—

अनुशासन तथा अंतः अनुशासन में अंतर के लिए सीमित और विस्तृत ज्ञान के अनुसार किया किया जाता है। अनुशासन के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र का ज्ञान होता है। जबकी अंतः अनुशासन में सभी विषयों का विस्तृत ज्ञान से है। जो अनेक प्रकार का समस्या का समाधान तथा समस्या उत्पन्न होने के कारणों को आसानी से पता कर सकती है।